संख्या-18/2023/2327/26-3-2023/सी0एन-1690480

प्रेषक

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण विभाग
लखनऊ उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 मार्च 2023

विषय: राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शेषपुर समौधा जनपद-रायबरेली रहिमाबाद जनपद-सीतापुर बरवां मसौधा जनपद-अयोध्या एवं राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास जनपद-सीतापुर के मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्धमें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3128-29/स0क0/ए0टी0एस-सेल(44)/शेषपुर समौधा-रायबरेली/2022-23, दिनांक 15.09.2022, पत्र संख्या-1167-68/स0क0/विकास/छात्रावास(252)/2022-23 दिनांक 09.11.2022, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 के पत्र संख्या-3795/स0क0वि0/2020-21 दिनांक 05.03.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ के पत्र संख्या-2653/2021-22 दिनांक 26.11.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, शेषपुर समौधा, जनपद-रायबरेली, रहिमाबाद जनपद-सीतापुर, बरवां मसौधा, जनपद-अयोध्या एवं राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास, जनपद-सीतापुर के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, शेषपुर समौधा, जनपद-रायबरेली के मरम्मत कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-279.25 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-125/2019/2021/26-3-2019 दिनांक 10.05.2019 द्वारा 25.00 लाख तथा द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-147/2021/3169/26-3-2021-1(14)/2021 ,दिनांक-15.12.2021 रू0-53.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0** को निर्गत की जा चुकी है।

3- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रहिमाबाद, सीतापुर के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-53.22 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप शासनादेश संख्या-125/2019/2021/26-3-2019 दिनांक 10.05.2019 द्वारा रू0-25.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0** को निर्गत की जा चुकी है।

4- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरवां मसौधा, जनपद-अयोध्या के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-82.60 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-125/2019/2021/26-3-2019 दिनांक 10.05.2019 द्वारा रू0-25.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0** को निर्गत की जा चुकी है।

5- राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास, सीतापुर के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-131.57 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-125/2019/2021/26-3-2019 दिनांक 10.05.2019 द्वारा रू0-12.50 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-147/2021/3169/26-3-2021-1(14)/2021, दिनांक-15.12.2021 रू0 53.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0** को निर्गत की जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नवत तालिका के कॉलम-5 में अंकित विवरणानुसार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शेषपुर समौधा, जनपद रायबरेली के भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु रू0-187.28 लाख, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रहिमाबाद, सीतापुर के भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु रू0-25.56 लाख, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरवां मसौधा, जनपद-अयोध्या के भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु रू0-53.47 लाख एवं राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास, सीतापुर के भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु रू0-59.50 लाख अर्थात **कुल रू0-325.81 लाख (रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख इक्यासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	कुल लागत	पूर्व में निर्गत धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली अवशेष धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रहिमाबाद, सीतापुर	53.22	25.00)प्रथम किश्त के रूप में(	25.56 द्वितीय किश्त
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरवां मसौधा, जनपद-अयोध्या	82.60	25.00)प्रथम किश्त के रूप में(	53.47 द्वितीय किश्त
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शेषपुर समौधा, जनपद रायबरेली	279.25	25.00)प्रथम किश्त के रूप में(53.00)द्वितीय किश्त के रूप में(	187.28 तृतीय किश्त
4	राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास सीतापुर	131.57	12.50)प्रथम किश्त के रूप में(53.00)द्वितीय किश्त के रूप में(	59.50 तृतीय किश्त

(1) प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस संबंध में शासनादेश संख्या-125/2019/2021/26-3-2019 दिनांक 10.05.2019 एवं शासनादेश संख्या-147/2021/3169/26-3-2021-1(14)/2021, दिनांक-15.12.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक-04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चिकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या् एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यरय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून 2022 में दी गयी व्यसवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मरम्मत कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017 -एम-04/ 2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्थार/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेतदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, समाज कल्याण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की गई है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे एवं अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि की मांग प्रस्तुत करते समय परियोजना की टेण्डर लागत, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संविदा से सम्बन्धित (MOU), तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय कुल रू0-325.81 लाख (रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखाशीर्षक 2225017890900 राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण मद 29 अनुरक्षण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, रायबरेली, सीतापुर, अयोध्या।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली, सीतापुर, अयोध्या।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।